(57)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1203-PBR/2017 विरूद्ध आदेश दिनांक 27–2–2017 पारित द्वारा नायब तहसीलदार देपालपुर जिला इंदौर, प्रकरण क्रमांक 31/2015–16/अ–13.

हुकुमचन्द जिन्दल स्व0श्री नंदलालजी जिंदल
निवासी 41–41 मेनस्ट्रीट महू जिला इंदौर

..... आवेदक

विरूद्ध

हेमन्त पिता कृष्णगोपाल गर्ग
निवासी 61 पत्रकार कॉलोनी इंदौर

..... अनावेदक

.....

श्री हुकुमचन्द जिन्दल, अभिभाषक, आवेदक
श्री एच0एन0फड़के, अभिभाषक, अनावेदक

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 7/4/19 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा नायब तहसीलदार देपालपुर जिला इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 27–2–2017 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता सन् 1959 (जिसे आगे केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2– प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक द्वारा तहसीलदार देपालपुर के समक्ष संहिता की धारा 131 के अन्तर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि सर्वे नम्बर 1083 रकबा 0.409 हेक्टेयर उसके स्वत्व स्वामित्व की भूमि है जिस पर आने

जाने हेतु रूढिगत रास्ता अनावेदक द्वारा बन्द कर दिया गया है अतः रास्ता खुलवाया जाये। साथ अंतरिम रूप से रास्ता खुलवाये जाने हेतु संहिता की धारा 32 के अन्तर्गत भी आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज कर दिनांक 27–2–17 को आदेश पारित कर संहिता की धारा 32 का आवेदन पत्र निरस्त किया गया। तहसील न्यायालय के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3– आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मौखिक एवं लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये है :–

(1) आवेदक के लिये अपनी भूमि पर जाने के लिये अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं होने के बावजूद तहसील न्यायालय द्वारा आवेदक का संहिता की धारा 32 का आवेदन निरस्त करने में त्रुटि की गई है ।

(2) तहसील न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर विचार नहीं किया गया है कि आवेदक का रास्ता बन्द कर दिये जाने से वह अपनी भूमि पर जाने में असमर्थ हो जायेगा और वह अपनी भूमि का उपयोग नहीं कर सकेगा ।

(3) तहसील न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर भी कोई विचार नहीं किया गया है कि आवेदक का रास्ता बन्द कर दिये जाने से उसे अपूर्णनीय क्षति होगी ।

(4) तहसीलदार द्वारा स्थल निरीक्षण में यह पाया गया है कि आवेदक के लिये कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है । इसके बावजूद भी रास्ता नहीं देने में अन्यायपूर्ण कार्यवाही की गई है ।

(5) तहसील न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर भी कोई विचार नहीं किया गया है कि अनावेदक द्वारा प्रश्नाधीन भूमि पर नाली खोदकर रास्ते के चिन्ह मिटाये गये है ।

4– अनावेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय द्वारा विधिवत् स्थल निरीक्षण किया गया है और मौके पर कोई रास्ता नहीं पाया गया है अतः अनावेदक की भूमि में से रास्ता नहीं देने के उद्देश्य से आवेदक

का आवेदन पत्र निरस्त करने में विधिसंगत कार्यवाही की गई है । यह भी कहा गया कि आवेदक के लिये वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध है, परन्तु वह अनावेदक की भूमि में से रास्ता चाहता है जिसे नहीं देने में तहसीलदार द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है ।

5– प्रकरण में उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया गया तथा उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । तहसील न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में आई साक्ष्य से यह प्रमाणित है कि आवेदक अपनी भूमि पर लम्बे समय से खेती नहीं कर रहा है, ऐसी स्थिति में अंतरिम रास्ते की आवश्यकता ही प्रतीत नहीं होती । तहसील न्यायालय ने स्थल निरीक्षण के बाद ही अंतरिम रास्ता नहीं देने का निर्णय लिया है । जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है । अतः नायब तहसीलदार द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6– उपरोक्त विवेचना के आधार पर नायब तहसीलदार देपालपुर जिला इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 27–2–2017 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर,